

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनसंरक्षक/ व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	: अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के ग्राम "तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा" का पुनर्व्यवस्थापन		
2.	आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	: वन विभाग		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	: वनग्रामों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	<u>जिला</u>	<u>वनमण्डल</u>	<u>परियोजना स्थल</u>
		मुंगेली	मुंगेली	भरतपुर एवं सांवतपुर
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	<u>वनखंड</u>	<u>कक्ष क्रमांक</u>	<u>आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल</u>
	(क) आरक्षित वन	: सांवतपुर	आर.एफ. 96	126.500 हे.
		: भरतपुर	आर.एफ. 558	119.389 हे.
			आर.एफ. 557	9.411 हे.

योग:- ————— 255.300 हेक्टेयर

(ख) सीमांकित संरक्षित वन	: निरंक	निरंक	निरंक
(ग) असीमांकित संरक्षित वन	: ग्राम का नाम	खसरा क्र.	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	:: निरंक	निरंक	निरंक
(घ) राजस्व वन क्षेत्र	:: निरंक	निरंक	निरंक

कुलयोग:- ————— 255.300 हेक्टेयर

- | | | |
|-----|--|---|
| 6. | आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार | :
: साइट क्वालिटी - I/II/III/ IV A/IV B/V
: घनत्व 0.4 तक/ >0.4 से 0.6/ >0.6 |
| 7. | आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण | : प्रजाति कुल वृक्षों की संख्या
साल, साज़ा, बीजा, तिसां एवं अन्य 9862 |
| 8. | आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति | : जैविक दबाव के कारण पुनरुत्पादन अत्यंत दयनीय है। |
| 9. | आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)। | : आवश्यकता नहीं है। |
| 10. | क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/ वाटर बाडी, अदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें। | : सांवतपुर एवं भरतपुर वनखंड जहां ग्राम तिलईडबरा बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन होना है, जो कि अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. के अंदर नहीं है। |

11. आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प : आवश्यकता नहीं है।
के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है
अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में
आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में
गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत
सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों
की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे)
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का : नहीं।
उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त
विवरण दें।

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/ विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग
की गई वनभूमि की गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : — सांवतपुर एवं भरतपुर
दिनांक : — 06-06-2020

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वन मण्डल, मुंगेली
मुंगेली वन मण्डल मुंगेली (छ.ग.)